29/07/2022

सहायक कलक्टर जयपुर शहर प्रथम

आवेदक उपस्थित, वकील वादी उपस्थित। आवेदक अधिवक्ता उपस्थित, वकील वादी द्वारा JDA को पक्षकार नहीं बनाया गया। वकील वादी द्वारा पेश वाद राज० काश्तकारी अधि० 1955 के सेक्शन-16 द्वारा बाधित होने के कारण "विधि द्वारा वर्जित" मानी जाने से अस्वीकृत। वाद खारिज किया जाता है। विस्तृत निर्णय अलग से लिखकर 2100 बजे सुनाया जाता। तात्कालिक निर्णय अभिलेख पर जारी की जाये। आवेदक को अपील दायर होकर पश्चात कानून दायर हो। निर्णय अभिलेख 29/07/22 को लिखे जाने के कारण दिनांक अग्रिम किया जाता।

अरशदीप बरार (आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर
जयपुर शहर प्रथम

Signature Not Verified

Digitally signed by Arshdeep Brar
Date: 2022.09.09 16:12:14 IST
Reason: SelfAttested